राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3147 / 2024

सीताराम –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व), शासन–सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. उपवन संरक्षक, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2024
आदेश की दिनांक : 11.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तवंर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, अभिभाषक

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाकर कनिष्ठ लेखाकार के पद पर मार्च 2013 में की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.03.2013 में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर की गई। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर बिना किसी शिकायत के कार्यरत् है। अपीलार्थी को जनवरी 2022 में उपवन संरक्षक, अजमेर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया था। जीएफ एण्ड आर के नियमों के तहत राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई भी कार्य करवाने हेतु सर्वप्रथम पोर्टल पर टेण्डर अपलोड किये जाते है तथा उसके पश्चात् समिति द्वारा टेण्डर खोले जाने के पश्चात् विभागीय कार्य करने हेतु नियमानुसार कार्य करने के लिए व्यक्ति / फर्म को अधिकृत किया जाता है तथा राजस्थान वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.04.2021 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसरण में संधारित किये जाने अभिलेखों बाबत् सभी विभागों को दिशा–निर्देश जारी किये गये। जिसमें टेण्डर में भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टयां तथा बोली की कीमतें तथा बोलियों का मूल्यांकन का सारांश तथा अन्य शर्तों का पालन करने हेतु निर्देश जारी किये गये। जिसकी पालना में पूर्व में भी प्रत्यर्थी विभाग के प्रधान मुख्य वन सरंक्षक हॉफ ने दिनांक 27.11.2017 को उक्त उपापन पारदर्शिता अधिनियम की पालना करने के निर्देश जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 3 के अधीन समस्त क्षेत्रीय वन

अधिकारियों ने बिना टेण्डर प्रक्रिया अपनाये तथा बिना बोली लगाये तथा बिना उपापन समिति की बैठक आयोजित किये तथा विकास कार्यों के भुगतान को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से खाते में हस्तान्तरित नहीं करके अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के खातो में पेड बाई मी करके भुगतान उठाने हेतु बिल प्रस्तुत किया गया। जबकि उपापन समिति में प्रत्यर्थी सं. 3 के कार्यालय के जारी आदेशों के अनुसार अपीलार्थी भी सहायक लेखाधिकारी प्रथम की हैसियत से सदस्य है। परन्तु अपीलार्थी की बिना जानकारी के तथा समिति की बैठक आयोजित किये बिना ही मनमाने ढंग से विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर बिल प्रस्तुत किये गये, जिस पर अपीलार्थी ने बिना देरी किये आक्षेप लगाते हुए पत्रावली वापिस भेजी। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 23.09.2024 को अपीलार्थी को स्पष्टीकरण नोटिस प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने वृक्षारोपण से संधारण एवं अन्य विकास कार्य के बिलों पर कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय की वित्तीय प्रगति शून्य है। इस बाबत् स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 26.09.2024 को विस्तृत रूप से जबाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के जबाब पर बिना विचार किये अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 14.10.2024 के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 में आरोप पत्र जारी किया गया तथा अपीलार्थी पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोप पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का मूल विभाग प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 है। प्रत्यर्थी सं. 3 ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलौच्य आरोप पत्र जारी किया है। जो अवैध, अनुचित तथा विधि विरुद्ध है। (अनुलग्नक–1) वित्त विभाग ने दिनांक 17.04.2021 को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व 2013 के संबंध में परिपत्र जारी करते हुए समस्त विभागों को निर्देश जारी किये गये कि विभाग में कोई भी कार्य करने हेतु उपापन समिति की बैठक आयोजित की जायेगी तथा खुली प्रतियोगिता में टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे तथा बोली में भाग लेने वालों की सूची बनाई जायेगी तथा बोली की कीमतें व अन्य वित्तीय निबंधन, बोली का मूल्यांकन तथा समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों हेतु टेण्डर आयोजित किये जायेंगे तथा प्रत्यर्थी विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर ने भी दिनांक 27.11.2017 को उक्त प्रावधानों की पालना करने हेतु यह निर्देश जारी किये गये कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 3 के तहत प्रत्येक उपापन संस्था उपापन हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ एक उपापन समिति का गठन करेगी तथा क्षेत्रीय वन अधिकारियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होने तथा इनका कार्यालय उपापन संस्था नहीं होने के कारण इनके स्तर से वन विकास एवं अन्य कार्य हेतु की जा रही उपापन प्रक्रिया उक्त अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन है। उक्त तथ्यों के बावजूद क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने विभाग में बिना टेण्डर प्रक्रिया अपनाये तथा उपापन समिति की बिना बैठक आयोजित किये सीधे ही करोड़ों रूपयें के कार्य अपने स्तर पर ही अपने चहेते कार्मिकों को देते हुए पेड़ बाई मी करके प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हुए बिल प्रस्तुत किये। जिस पर अपीलार्थी वित्तीय विभाग का कार्मिक होने के कारण तथा अपीलार्थी की ड्यूटी होने के कारण कि राज्य सरकार के नियमों का पालन किया

जा रहा है या नहीं, उसके संबंध में बिना देरी किये आक्षेप लगाये गये। प्रत्यर्थी सं. 3 के कार्यालय में करोड़ों रूपयें का घपला हुआ तथा अवैध बिल पास नहीं हो सकें। जिसके कारण अपीलार्थी पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आलौच्य आदेश जारी किया गया। उक्त आधार पर आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। (अनुलग्नक–2 व 3) प्रत्यर्थी सं. 3 ने भी दिनांक 21.02.2023 को ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों द्वारा करवाये जा रहे समस्त विकास कार्यों के श्रमिकों का भुगतान चैक व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये कि विकास कार्यों के श्रमिकों का भुगतान नकद नहीं किया जा जाकर चैक/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने तथा वीएफपीएमसी/ईटीसी के बारे में जारी दिशा निर्देशों तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के सदस्यों को भुगतान नकद में नहीं दिया जाकर सीधे ही उनके बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ट्रांसफर किये जाने हेतु पाबंद किया गया तथा आदेश दिनांक 11.10.2023 तथा दिनांक 26.05.2023 एवं 30.06.2022 को भी निर्देश जारी किये गये, परन्तु प्रत्यर्थी सं. 3 के अधीन कार्यरत् क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने बिना उपापन समिति व वित्त विभाग के निर्देशों की पालना किये बिना किसी भी श्रमिक के खाते में चैक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रूपये अंतरित नहीं किये तथा जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने आक्षेप लगाये, जिसके कारण प्रत्यर्थी सं. 3 के अधीन अवैध बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका। अगर अपीलार्थी के आक्षेप नियमों के विपरीत थे तो प्रत्यर्थी सं. 3 को यह अधिकार है कि वह स्वयं अपने स्तर पर भुगतान कर सकता था। परन्तु अपीलार्थी पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आलौच्य आदेश जारी किया गया है तथा अपीलार्थी को दबाब में लेने के लिए आलौच्य आदेश जारी किया गया है। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी सं. 3 के कार्यालय ने दिनांक 26.06.2024, 10.07.2024, 21.08.2024 और 19.10.2023 के द्वारा वन विभाग के संकर्म और सेवा में साझा वन प्रबंध समिति की सहभागिता आदेश 2023 जारी किये गये। उक्त आदेशों की पालना में उपापन किये जाने का सक्षम स्तर से निर्णय होने पर समिति गठित की गई। जिसमें अपीलार्थी भी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम की हैसियत से सदस्य है तथा समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न उपापन समितियों का सदस्य है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के किसी भी क्षेत्रीय अधिकारी ने साझा वन प्रबंध समिति की उपापन हेतु कोई बैठक आयोजित नहीं की तथा ना ही विकास कार्य एवं अन्य हेतु टेण्डरों को पोर्टल पर डाला गया व ना ही खुली प्रतियोगिता में टेण्डर आयोजित किये गये और ना हीं कार्य करने से पूर्व स्टाम्प पर अनुबंध पत्र लिया गया तथा ना ही इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कार्यों का भुगतान किया गया। जिसका आक्षेप अपीलार्थी ने बिल प्रस्तुत करने पर लगाया। जिससे खिन्न होकर तथा अपीलार्थी को दबाब में लेने के आशय से आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। (अनुलग्नक–5) राजस्थान सरकार के वन विभाग ने दिनांक 20.09.2024 को भी साझा वन प्रबंध के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि एवं राजकीय भूमि के लिए वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं संवर्द्धन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदार प्राप्त करने के लिए गठित साझा वन प्रबंध समितियों के पंजीयन, गठन, विघटन के प्रावधानों को दृढ करने

के लिए रजिस्टर्ड करवाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त समिति के गठन व साधारण सभा व कार्यकारिणी व लेखा संधारण आदि हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी सं. 3 के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने दिनांक 11.08.2023 को विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश जारी किये। जिसकी पालना में मुख्य वन संरक्षक आयोजना राज. जपयुर ने दिनांक 10.10.2023 को वन विकास कार्यों के लिए संबंधित श्रमिकों को पारिश्रमिक राशि उनके खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किये तथा लापरवाही बरतने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही को भिजवाने के आदेश जारी किये। परन्तु प्रत्यर्थी सं. 3 का कार्यालय लगातार वित्त विभाग के आदेशों के विपरीत तथा स्वयं के आदेशों के विपरीत तथा प्रधान मुख्य वन सरंक्षक महोदय के आदेशों के विपरीत जाकर वन विकास कार्यों के लिए किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया तथा किसी भी श्रमिक के खाते में चौक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान नहीं करने के बावजूद विधि विरूद्ध जाकर अपीलार्थी पर अनुचित तरीके से दबाब बनाने के आशय से तथा करोड़ों का अवैध भुगतान अपीलार्थी से पास करवाने के आशय से आलौच्य आदेश जारी किया गया है। जबकि अपीलार्थी की यह ड्यूटी है कि वह राज्य सरकार के आदेशों की पालना करवायें। अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से कोई बिल पास व भुगतान करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निर्देशों की पालना नहीं करने पर आक्षेप लगाने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु जानबूझकर अपीलार्थी अपी को हैरान व परेशान करने के लिए आलौच्य आदेश जारी किया गया है। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। (अनुलग्नक–6,7 व 8) प्रत्यर्थी सं. 3 ने दिनांक 23.09.2024 को अपीलार्थी को वित्तीय वर्ष 2024–25 में सभी योजनाओं के विकास कार्यों के बिलों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया कि आक्षेप पूर्ति उपरांत बिलों के संबंध में नियमानुसार कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय की वित्तीय प्रगति शून्य है। विकास कार्य पेटे श्रमिकों को भुगतान नहीं होने से विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप राजकार्य में रूचि नहीं ले रहे है। क्यों ना आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावें। अपीलार्थी ने बिना देरी दिनांक 26.09.2024 को विस्तृत रूप से जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने रेंज किशनगढ़ के 17 विकास कार्यों के लिए अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2024 को 05.49 पीएम पर प्रस्तुत किये गये उक्त बिलों के नियमानुसार टिप्पणी करते हुए दिनांक 07.08.2024 को अग्रेषित किया गया तथा आक्षेप लगाये गये तथा समस्त बिलों के संबंध में विस्तृत रूप से अपीलार्थी ने टिप्पणी प्रस्तुत की तथा अपीलार्थी ने यह लिखा कि अपीलार्थी उपापन समिति का सदस्य है तथा कार्यालय में पदस्थापित एकमात्र लेखाकर्मी है। जिनका उपापन प्रक्रिया के संधारित दस्तावेजों को जांचने का प्राथमिक दायित्व है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा ना तो विकास कार्यों के लिए टेण्डर आयोजित किये गये और ना हीं पोर्टल पर डाला गया और ना हीं खुली बोली प्रक्रिया की पालना की गई और ना हीं चैक / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से श्रमिकों का भुगतान किया गय और ना हीं अनुबंध पत्र लिये गये। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने समस्त बिलों का जबाब के साथ में आने–जाने का समय

भी पोर्टल के अनुसार अंकित करते हुए विस्तृत जबाब प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थीगण के पास और कोई आधार नहीं होने के कारण तथा करोड़ों रूपये का अवैध भुगतान लगातार प्रत्यर्थी सं. 3 के कार्यालय द्वारा किया गया तथा नियमों के विपरीत जाकर बिना किसी टेण्डर प्रक्रिया के अपनी इच्छानुसार विकास कार्य अपने मिलने वालों से करवाया, जिसके कारण ना केवल राज्य सरकार बल्कि वित्त विभाग के आदेशों की अवहेलना हुई तथा पारदर्शिता भी नहीं रही। अपीलार्थी ने कभी भी प्रत्यर्थी विभाग की कोई पत्रावली अपने पास नहीं रखी। आक्षेप लगाकर बिना देरी किये प्रस्तुत कर दी। जब अपीलार्थी ने नोट्शीट पर बिलों से भुगतान संबंधी आक्षेप लगाये गये तथा अवैध कृत्यों का भुगतान के संबंध में आक्षेप लगाये तो प्रत्यर्थी सं. 3 ने विधि विरूद्ध जाकर अपीलार्थी के बिना दोष के ही अपीलार्थी को दोषी मानते हुए विधि विरूद्ध जाकर आलौच्य आदेश के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। जो (अनुलग्नक–9 व 10) एक तरफ प्रत्यर्थी सं. 3 वित्त विभाग व प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेशों की पालना करने के लिए लगातार पत्र लिख रहे है, दूसरी तरफ अपीलार्थी के द्वारा लगाये गये आक्षेपों की क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा पूर्ति नही करने के बावजूद तथा अपीलार्थी द्वारा लिखित में विस्तृत रूप से जबाब प्रस्तुत करने के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपीलार्थी के जबाब पर कोई विचार नहीं किया तथा बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना कार्य किये अवैध भुगतान के बिलों को अपीलार्थी से बिना आक्षेप लगाये पास करवाने हेतु दबाब बनाया गया। जिसको अपीलार्थी ने स्वीकार नहीं करते हुए पत्रावली पर आक्षेप लगाये, जिसके कारण अवैध भुगतान के बिल प्रत्यर्थी सं. 3 स्वयं ने पास नहीं किये। जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी ने ना तो किसी पत्रावली को अपने पास रखा और ना हीं बिलों को अपने पास रखा। अपीलार्थी ने आक्षेप लगाकर समस्त पत्रावलयिां प्रत्यर्थी सं. 3 को वापिस लौटा दी है। भुगतान करना या नहीं करना स्वयं प्रत्यर्थी सं. 3 की जिम्मेदारी है। परन्तु प्रत्यर्थी सं. 3 ने विधि विरूद्ध जाकर तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी को आलौच्य आदेश के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। जो अवैध, अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिऐ जावे कि प्रत्यर्थी सं.–2 द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 14.10.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जावें तथा विकल्प में अपीलार्थी के विरूद्ध बिलों में आक्षेप हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जावें।

प्रस्तुत अपील का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा कोई बिल पास व भुगतान करने का अधिकार नहीं बताया गया। जबकि भुगतान हेतु कोषालय में भेजने से पूर्व बिल ऑन लाईन अपीलार्थी की आई.डी. से अग्रेषित किये जाते है, जिन्हें समय पर उप वन संरक्षक को अग्रेषित नहीं किये जाकर अनावश्यक आक्षेप लगाकर लौटाफेरी कर विलम्ब किया गया, जिससे श्रमिकों में असंतोष एवं विभाग की छवि धूमिल हुई। नियमानुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 अनुसार वन विभाग द्वारा संकर्म और सेवाओं के उपापन हेतु ग्रामीण वन सोसाइटीयों से संबंधित बी.एस.आर. दरों तक

कार्य करानें की सहमती देती है तो उसे प्राथमिकता से कार्य संपादन एवं श्रमिक संबंधी कार्यों का कार्यादेश दिया जाना अनुमत है। इसी संदर्भ में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों को बी.एस. आर. दरों पर कार्य करनें के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए उप वन संरक्षक द्वारा ऑन लाईन अनुबंध बाद नियमानुसार कार्यादेश जारी किया गया। इस बाबत् अब्बल समय पर स्टाम्प अनुबंध किया गया। विभाग द्वारा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को कोई भी नकद भुगतान नहीं किया जाकर इलेक्ट्रिोनिक ट्रांसफर किया जाता है। इसी प्रकार वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियो के साथउप वन संरक्षक द्वारा भुगतान का इलेक्ट्रिोनिक ट्रांसफर करनें करनें की शर्त पर ही अनुबंध किया जाकर कार्यादेश जारी किये गये। इस आशय का प्रत्येक ग्राम्य वन प्रबंध एवं सुरक्षा समिति से शपथ–पत्र भी प्राप्त किया गया है। इस प्रकार किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा बिलों को बार–बार अनावश्यक आक्षेप लगाकर ऑन लाईन बिल लौटाये गये है, जिससे अनावश्यक विलम्ब होने पर अपीलार्थी से स्पष्टीकरण चाहा गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में मात्र अनावश्यक लगाये हुए आक्षेपों का विवरण प्रस्तुत कर दिया, कोई माकुल स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया अर्थात इनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तर्क संगत नहीं पाया गया। अपीलार्थी द्वारा कोई बिल पास व भुगतान करनें का अधिकार नहीं बताया गया। जबकि भुगतान हेतु कोषालय में भेजने से पूर्व वाम बिल ऑन लाईन अपीलार्थी की आई.डी. से अग्रेषित किये जाते है, जिन्हें समय पर उप वन संरक्षक को अग्रेषित नहीं किये जाकर अनावश्यक आक्षेप लगाकर लौटाफेरी कर विलम्ब किया गयां, जिससे श्रमिको में असंतोष एवं विभाग की छवि धूमिल हुई। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी को राजकीय कार्य में अनावश्यक विलम्ब करनें का जिम्मेवार मानते हुए ही आरोप पत्र जारी किया गया। जिसे सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमोदन हेतु भिजवाया गया है। अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपने पदस्थापन के सम्बन्ध में विभाग के सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन देना चाहिए था क्योंकि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 (अ) के अन्तर्गत अभ्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त ही मानीय अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर सकता है परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना किये बिना ही सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। जबकि माननीय अधिकरण के निर्णय डा० सुभाष खोलिया वनाम राज्य सरकार व अन्य में स्पष्ट कर दिया है कि अपीलार्थी को अपील पेश करने से पूर्व विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देना चाहिए इसके उपरान्त ही अधिकरण के समक्ष अपील पेश सकता है। अपीलार्थी इस कार्यालय में जनवरी, 2022 से सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदस्थापित है। आवंटित बजट के विरूद्ध नियमानुसार ऑन लाईन प्राक्कलन टी.एस. बी.ओ. के मॉड्यूल पर प्रस्तुतकिये गये। प्राक्कलन सक्षम स्तर पर नियमानुसार पारित किये गये। किसी भी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कार्यादेश जारी नहीं किया गया। समस्त कार्यों की उप वन संरक्षक द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी तत्पश्चात सक्षम स्तर अर्थात उप वन संरक्षक द्वारा ऑन लाईन कार्य आदेश जारी किया गया। नियमानुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 अनुसार वन विभागद्वारा संकर्म और सेवाओं के उपापन हेतु ग्रामीण वन

सोसाइटीयों से कार्य संपादन हेतु संबंधित बी.एस. आर, दरों तक कार्य करानें की सहमती देती है (अनुलग्नक आर–1) अतः प्राथमिकता पर तो उसे बिना उपापन के कार्य संपादन एवं श्रमिक संबंधी कार्य करवाया जाना अनुमत है। इसी नियम के अंतर्गत ही बी.एस.आर. दरों पर कार्य करने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए उप वन सरंक्षक द्वारा संबंधित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को ऑन लाईन अनुबंध बाद नियमानुसार कार्य आदेश जारी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि समितियों को कार्यादेश नियमानुसार जारी किये गये एवं समितियों द्वारा वर्ष 2024–25 में माह अप्रेल से लगातार नियमानुसार बिल प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यों की जांच कर ऑन लाईन एम.बी. मॉड्यूल पर बिल प्रस्तुत किये गये। इन बिलों को सहायक वन संरक्षक द्वारा तकनिकी जांच कर ऑन लाईन ही उपवन संरक्षक को प्रस्तुत किये गये, जिन्हें सही पाये जाने पर पारित किये गये। इन बिलों को वाम मॉड्यूल पर अपलोड कर एवं बिलों की हार्ड कॉपी एम.बी. में इन्द्राज कर अपीलार्थी के पास अंकेक्षण कर ऑफ लाईन पास ऑर्डर पर कार्यवाही हेतु, माह जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किये गये। परन्तु अपीलार्थी, द्वारा लोटाफेरी परन्तु अपीलार्थी द्वारा पारित नहीं किये गये (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श आर–2), अतः परिणाम स्वरूप के कारण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को भुगतान नहीं किया जा सका। माह अक्टूबर, 2024 तक कुल राशि 22,09,51,928/– (बाईस करोड़ नौ लाख इक्कानवें हजार नौ सौ अट्ठाईस रूपये) में से राशि रूपये 7,96,997/– (अक्षरे सात लाख छियानवें हजार नौ सौ सत्तानवें रूपये) के नगण्य बिल पारित हुए हैं, वो भी बॉटनिकल गार्डन की गत वर्ष की लंबित दायित्व के है। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा विकास कार्यों का किसी भी तरह कोई भुगतान पेढ बाई मी करके नहीं उठाया गया। नियमानुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 अनुसार वन विभाग द्वारा संकर्म और सेवाओं के उपापन हेतु ग्रामीण वन सोसाइटीयों से संबंधित बी.एस.आर. दरों तक कार्य करानें की सहमती देती है अधिमान के तौर पर से बिना उपापन के कार्य संपादन एवं श्रमिक संबंधी कार्य करवाया जाना अनुमत है। इसी नियम के अंतर्गत ही बी.एस.आर. दरों पर कार्य करनें के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए उप वन संरक्षक द्वारा संबंधित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को ऑन लाईन अनुबंध बाद नियमानुसार कार्य आदेशजारी किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारियो द्वारा कोई उपापन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। न्यायालय सम्मन जारी किये जाने की तिथी तक विकास कार्य के कोई भी बिल पारित नहीं किये गये। इस प्रकार किसी प्रकार का भी घपला नही किया गया है। विभाग द्वारा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को कोई भी नकद भुगतान नहीं किया जाकर, कोषालय के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के खाते में भुगतान किया जाता है तथा उप वन सरक्षक द्वारा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों को उनके स्तर पर भी नकद भुगतान नहीं किया जाकर सीधे श्रमिकों के खाते मे भुगतान किये जाने की शर्तअधीन ही अनुबंध किया गया है। इस आशय का प्रत्येक ग्राम्य वन प्रबंध एवं सुरक्षा समितिसे शपथ–पत्र भी प्राप्त किया गया है। (अनुलग्नक आर–3) इस प्रकार किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। विभाग द्वारा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को कोई भी नकद

भुगतान नहीं किया जाकर इलेक्ट्रिट्रेनिक ट्रांसफर किया जाता है। इसी प्रकार वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियो के साथउप वन संरक्षक द्वारा भुगतान का इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर करनें करनें की शर्त पर ही अनुबंध किया जाकर कार्यादेश जारी किये गये। इस आशय का प्रत्येक ग्राम्य वन प्रबंध एवं सुरक्षा समितिसे शपथ–पत्र भी प्राप्त किया गया है। इस प्रकार किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया। साझा वन प्रबंध के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि एवं राजकीय भूमि के लिये वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण विकास एवं संवर्धन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करनें के लिये गठित साझा वन प्रबंध समितियों के पंजीयन, गठन, विघटन के प्रावधानो को दृढ करनें के लिये रजिस्टर्ड करनें का निर्णय दिनांक 20.09.2024 को लिया गया, समस्त विकास कार्यों के लम्बित बिल दिनांक 20.09.2024 (अनुलग्नक आर–4) के पूर्व के है। जबकि भुगतान हेतु कोषालय में भेजने से पूर्व वाम बिल ऑन लाईन अपीलार्थी की आई.डी. से अग्रेषित किये जाते है, जिन्हें समय पर उप वन संरक्षक को अग्रेषित नही किये जाकर अनावश्यक आक्षेप लगाकर लौटाफेरी कर विलम्ब किया गया (अनुलग्नक आर–5) अपीलार्थी के समक्ष बिलों को ऑफ लाईन जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किये गये, जिनमें लोटाफेरी की जाकर पारित किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी। जहां तक अपीलार्थी द्वारा करोडों रूपये के अवैध भुगतान किया की बात तर्क संगत नहीं स्पष्टीकरण तर्क संगत नहीं पाया गया। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी को राजकीय कार्य में अनावश्यक विलम्ब करनें का जिम्मेवार मानते हुए ही आरोप पत्र जारी किया गया। जिसे सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमोदन हेतु भिजवाया गया है। ((अनुलग्नक आर–6 अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी को सीसीए 17 के अन्तर्गत जारी आरोप पत्र को चुनौती दी गई है एवं यह निवेदन किया है कि आरोप पत्र में अंकित तथ्य सही नहीं है एवं गलत बिलों को पास कराने हेतु दबाब बनाने की गर्ज से आरोप पत्र जारी किया गया है एवं यह कृत्य प्रतयर्थी संख्या 3 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः जारी आरोप पत्र को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रस्तुत अपील में तीन बिंदू विचारणीय हैः–

1. **क्या अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र में अंकित आरोपों के गुणावगुण पर विचार करने का इस अधिकरण को क्षैत्राधिकार प्राप्त है या नहीं ?**

   इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र में अंकित आरोप/तथ्यों को गुणावगुण पर विचार एवं विवेचन की सक्षमता इस अधिकरण को नहीं है। यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार है कि वह जारी आरोप पत्र के संबंध में समुचित जांच के उपरान्त जांच रिपोर्ट के आधार पर समुचित निर्णय पारित करे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत जारी आरोप पत्र में अंकित आरोप/तथ्यों के आधार पर इस अधिकरण में चुनौती नहीं दी जा

सकती। अतः इस आरोप पत्र के अंकित आरोपों के गुणावगुण पर विचार करना उचित नहीं मानते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस हद तक स्वीकार योग्य नहीं है।

2. क्या यह अधिकरण आरोप पत्र जारी करने की प्रत्यर्थी संख्या 3 की सक्षमता / क्षेत्राधिकार पर विचार करने की अधिकारिता रखता है ?

किसी भी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु नियम एवं प्रक्रियां निर्धारित है। राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 (आगे इसे नियम 1958 लिखा गया है) के तहत वहीं प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है जिसे इनके अन्तर्गत अधिकारिता प्रदत्त है या शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। यदी किसी असक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है तो क्या उसे इस आधार पर अधिकरण के सक्षम चुनौती दी जा सकती है ? प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का यह निवेदन रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 उपवन संरक्षक अजमेर, जिन्होंने आलौच्य आरोप पत्र जारी किया, वह विधि विरूद्ध है तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह अधिकार नहीं है कि वह अपीलार्थी को सीसीए 17 के तहत आरोप पत्र जारी करे। यह कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं क्षैत्राधिकार से परे होने के आधार पर भी आलौच्य आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है। इस संबंध में हमारा यह विनम्र मत है कि यह अधिकरण अपीलार्थी को आरोप पत्र जारी करने में प्रत्यर्थी संख्या 3 की सक्षमता या अधिकारिता के संबंध में जांच करने की अधिकारिता रखता है।

3. क्या प्रत्यर्थी संख्या 3 उप वन सरंक्षक अजमेर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आराप पत्र जारी करने की अधिकारिता रखता है ?

पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पदस्थापित है एवं वर्तमान में उपवन संरक्षक अजमेर में वर्ष 2022 से पदस्थापित है। अपीलार्थी राजस्थान लेखा अधीनस्थ लेखा सेवा का कार्मिक है। नियम 1958 के नियम 12 में नियुक्ति प्राधिकारीएवं नियम 15 में अनुशासनिक अधिकारी के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवाओं के संबंध में विभागध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप में सशक्त प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी हो सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी लेखा अधीनस्थ सेवा का कर्मचारी होने से उसका नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान है। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रत्युत्तर के साथ कार्मिक (क–3) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.10.1986 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियम 1958 के नियम15 उपनियम (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समस्त क्षैत्रीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्यक्षः उनके नियत्रंणाधीन वाले अधीनस्थ सेवा के सदस्यों के मामले में दो तक वेतन दृष्टियां

बिना सचंयी प्रभाव से रोकने की शक्यो अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया है एवं परिपत्र दिनांक 10.09.2002 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि आदेश दिनांक 17.10.1986 द्वारा अनुशासनिक अधिकारी की मूल शक्तियों को प्रभावित नहीं किया गया है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के अन्तर्गत आदेश दिनांक 17.10.1986 के द्वारा उन जिला/क्षैत्रीय अधिकारियों को उनके नियंत्रणाधीन अधीनस्थ सेवा के सदस्यों के मामलों में नियमान्तर्गत 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां बिना सचंयी प्रभाव से रोकने तक की शक्तियां अधिरोपित करने की सक्षमता दी है, जो नियोक्ता अधिकारी नहीं है। नियोक्ता अधिकारी नियम 1958 के तहत पूर्व की भांति सक्षम है।

प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के उक्त आदेश/प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। अतः समस्त कार्यवाही नियमानुसार होने से अपील खारिज योग्य है। अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया गया। अपीलार्थी अधीनस्थ लेखा अधीनस्थ का कार्मिक है और उसके नियोक्ता प्राधिकारी निदेशक कोष एवं लेखा विभाग है एवं वहीं उसका विभागाध्यक्ष है। इसलिए अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 के प्रत्यक्षतः उसके नियत्रंणाधीन वाली अधीनस्थ सेवा का सदस्य नहीं है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम होते तो फिर अनुमोदन के लिए उच्च स्तर पर भेजने की कार्यवाही क्यों की गई ?

हमने समस्त तथ्यों पर विचार किया। अपीलार्थी का नियोक्ता प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष पीसीसीएफ (हॉफ) नहीं होकर निदेशक कोष और लेखा विभाग है। ऐसे कार्मिक जो अपने मूल विभाग के बजाय अन्य विभाग में कार्यरत है ऐसे कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में नियम 1958 के नियम 19 ख जोड़ा गया है, जिसमें ऐसे कार्मिकों के अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध प्रावधान है अर्थात जो कार्मिक नियुक्ति विभाग के भिन्न विभाग में पदस्थापित है। उनके संबंध में नियम 19 ख में प्रावधान है। नियम 19 ख नीचे उद्यत हैः–

"19-B. Provisions regarding Goverment servant belonging to the subordinate service, Ministerial service and class IV service, posted in a Government Department other than the Department of the Appointing Authority.

(1) Where a Goverment servant is posted in a Department other than the Department of the Appointing Authority, (hereinafter in this rule referred to as the Borrowing Department) the Head of the Borrowing Department shall have the powers of the appointing Authority for the purpose of taking disciplinary procceedings against him.

Provided that the Borrowing Department shall forthwith inform the Appointing Authority of the Circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings taken against the Government servant;

(i) If the Head of the Borrowing Department is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (i) to (iii) of Rule 14 Should be impased on him] he may, in consultation with the Appointing Authority pass such orders in the case as he deems necessary.

Provided that in the event of a difference of opinion between Head of the Borrowing Department and the Appointing Authority, the service of such Govem& ment Servant shall be placed at the disposal of the Appointing Authority.

(ii) If the Head of the Borrowing Department is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (iv) to (vii) of Rule 14 should be imposed on him, he shall place his services at the disposal of the Appointing Authority and transmit to it the proceedings of the enquiry and thereupon the Appointing Authority may, if it is the Disciplinary Authority, pass such orders as it deems necessary or if it is not the Disciplinary Authority] submit the case to the concerned Disciplinary Authority which shall pass such orders on the case as it deems necessary:-

Provided that in passing any such order the Disciplinary Authorit shall com& ply with the provisions of sub&rule (10) and (11) of Rule 16-

Explanation:- The Disciplinary Authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted by head of the Borrowing Department or after holding such further inquiry as it may deem necessary."

उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में कर्मचारियों को उधार लेने वाले विभाग के विभागाध्यक्ष को नियोक्ता प्राधिकारी की शक्तियां अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रदान की गयी है। इस नियम में विभागाध्यक्ष से कनिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में सक्षमता प्रदान नहीं की गयी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 17.10.1986, जिसमें क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों को सशक्त किया गया है, वह संबंधित विभाग के अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के संबंध में है अर्थात कर्मचारी की जिसकी विभाग में नियुक्ति हुई है उस मूल विभाग के समस्त क्षेत्रीय एवं जिला अधिकारियों का सशक्त किया गया है। आदेश दिनांक 17.10.1986 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो कर्मचारी क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों के प्रत्यक्षतः उनके नियंत्रणाधीन वाले अधीनस्थ सेवा के सदस्य है उनके संबंध में उक्त शक्तियां आदेश दिनांक 17.10.1986 द्वारा प्रदान की गई हैं। अपीलार्थी चूंकि अधीनस्थ लेखा सेवा का कर्मचारी है जो वर्तमान में वन विभाग में पदस्थापित हैं जिसके संबंध में नियम 1958 के नियम 15 लागू नहीं होता है। इस संबंध में नियम 19 ब लागू होता है। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र अनुमोदन अपने विभागाध्यक्ष को भेजे जाने का तथ्य भी निर्विवाद है। हमारा यह विनम्र मत है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षमता धारित

नहीं करता है और उसके जारी किए गए आरोप पत्र अधिकार उसके क्षेत्र के परे होने से प्रथम दृष्टया नियम विरूद्ध हैं।

अतः अपीलार्थी को जारी आलौच्य आरोप पत्र दिनांक 14.10.2024 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र उसके क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किए जाने के आधार पर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आरोप पत्र दिनांक 14.10.2024 को अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य